राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्र.:-एफ.4(40)ग्रावि/NREGS/प्रशि./पार्ट-II/06-07 जयपुर, दिनांक :

15 DEC 2006

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त(राज.)

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत पदस्थापित तकनीकी स्टॉफ के प्रशिक्षण बाबत।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत तकनीकी गतिविधियों के निष्पादन हेतु वरिष्ठ/ कनिष्ठ तकनीकी सहायक पदस्थापित किये गये हैं। समय-समय पर किये गये निरीक्षण के दौरान यह महसूस किया गया है कि पदस्थापित तकनीकी कार्मिकों में तकनीकी दक्षता का अभाव है। पदस्थापित तकनीकी कार्मिक अपेक्षित गतिविधियों का निष्पादन सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं एवं उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसी परिपेक्ष्य में एक 4 दिवसीय प्रशिक्षण मोड्यूल तैयार किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

तकनीकी कार्मिकों का प्रशिक्षण निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाना है:-

1. जिले में पदस्थापित समस्त वरिष्ठ/ कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के लिये यह प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
2. प्रशिक्षण संलग्न मोड्यूल के अनुसार ही आयोजित कराया जावे।
3. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस इस प्रशिक्षण के आयोजन हेतु समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे एवं प्रशिक्षण के आयोजन हेतु उत्तरदायी होंगे।
4. प्रशिक्षण मोड्यूल में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं वन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को भी प्रशिक्षक के रूप में चिन्हित किया गया है। उक्त विभागों के प्रमुख शासन सचिवों को भी अपने अधिकारियों को इस प्रशिक्षण में सक्रिय सहयोग उपलब्ध कराने के लिये निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। कृपया इन विभागों के जिला स्तरीय अनुभवी अधिकारियों का सक्रिय सहयोग प्रशिक्षण में लिया जावे।
5. प्रशिक्षण में संभागियों को विभाग द्वारा जारी तकनीकी मार्गदर्शिका, कम्प्यूटराईज्ड तकमीने, ग्रामीण कार्य निर्देशिका एवं जिले द्वारा जारी दर अनुसूची की विस्तृत जानकारी दी जावे एवं यथासम्भव उक्त डाक्यूमेन्टस् समस्त संभागियों को उपलब्ध कराये जावें। इसी प्रकार जो प्रशिक्षक विभिन्न विषयों पर आमन्त्रित किये जाते हैं, उनसे भी तकनीकी नोट प्राप्त कर वितरित किये जाने के प्रयास किये जावें।
6. यथासम्भव एक प्रशिक्षण में 40 से अधिक सम्भागी नहीं रखे जावें। यदि आवश्यक हो तो 2 प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा सकता है।

7. उक्त प्रशिक्षण के आयोजन हेतु होने वाला व्यय योजनान्तर्गत प्रावधित प्रशासनिक मद की राशि में से किया जावेगा।

उक्त प्रशिक्षण का आयोजन जनवरी, 09 के प्रथम पाक्षिक तक अनिवार्य रूप से निष्पादित कर लिया जावे। प्रशिक्षण की तिथियों का निर्धारण कर निर्धारित की गई तिथियों से विभाग को यथासमय अवगत कराया जावे। प्रशिक्षण उपरांत एक रिपोर्ट मय वितरित किये गये समस्त दस्तावेज, के इस विभाग को भी प्रेषित की जावे।

भवदीय,

(मंजू राजपाल)
निदेशक, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान ।
2. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस जिला परिषद समस्त राजस्थान।

निदेशक, ईजीएस

नरेगा अन्तर्गत तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मोड्यूल :- (4 दिवस)

सत्र	विषय	संदर्भ व्यक्ति
1.	**नरेगा योजना की सामान्य जानकारी** • नरेगा योजना की सामान्य जानकारी • योजनान्तर्गत अनुमत कार्य एवं उनकी प्राथमिकता। • निर्माण प्रबन्धन, • स्वीकृत कार्यों को समय पर प्रारम्भ कराना, निर्धारित समय सीमा में कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करना, • समय पर मूल्यांकन एवं किश्तों का हस्तान्तरण, • उपयोगिता प्रमाण-पत्र/ पूर्णता प्रमाण-पत्र ।	जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रमसमन्वयक, एनआर ईजीएस / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
2.	**ग्रामीण कार्य निर्देशिका व तकनीकी आवश्यकताएं (2 सत्र)** • ग्रामीण कार्य निर्देशिका के महत्वपूर्ण प्रावधान, • जिला स्तर पर तैयार की गई कार्य दर अनुसूची की जानकारी, • ग्रामीण विकास, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विकास विभाग आदि के द्वारा निर्धारित विभिन्न कार्यों के तकनीकी मापदण्ड • उपलब्ध डिजाईनों में से उचित डिजाईन का चयन, • तकनीकी स्वीकृति जारी करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रावधान, • तकमीने तैयार करने से पूर्व स्थल निरीक्षण की अनिवार्यता अपेक्षित तकनीकी सर्वे व जांच के बिन्दु की जानकारी, • कम्प्यूटराईज्ड तकमीनों के तैयार करने हेतु तैयार किये गये सॉफ्टवेयर की जानकारी एवं उसका अनिवार्य रूप से उपयोग, • स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तकनीकी Cost Effective डिजाईन का निर्धारण, कम्प्यूटराईज्ड सॉफ्टवेयर के अनुसार तकमीनों का निर्माण, • निर्माण कार्यों के तकमीने तैयार करना एवं उनमें ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु ।	अधिशाषी अभियंता (अभि.) जिला परिषद एवं अधिशाषी अभियंता (नरेगा) जिला परिषद
3.	**कार्यों का क्रियान्वयन, मूल्यांकन आदि (2 सत्र)** • निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित क्रियान्वयन संस्था को महत्वपूर्ण बिन्दुओं की पूर्ण जानकारी देना, • मौके पर लेआउट देना, • निष्पादित कार्यों की माप पुस्तिका में माप दर्ज करने के संदर्भ में ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रावधान, • माप पुस्तिका का संधारण एवं उसका प्रायोगिक अभ्यास • पाक्षिक रूप से रनिंग एन्ट्री की प्रक्रिया एवं टास्क निर्धारण • निष्पादित कार्यों के मूल्यांकन में ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु, • सक्षम स्तर से मूल्यांकन प्रमाणित कराना, • मौके पर संपादित कार्यों एवं तकमीने में प्रस्तावित कार्य की मात्रा की तुलना एवं प्रस्तावित मात्रा से कमी अथवा वृद्धि की तुलना, • मात्रा में कमी/ वृद्धि के कारण, सक्षम स्तर से संशोधन/ अनुमोदन की प्रक्रिया सुनिश्चित कराना।	अधिशाषी अभियंता (नरेगा) जिला परिषद

4.	**गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control)** • गुणवत्ता नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु, • कार्य की प्रकृति के अनुसार मोरटार व अनुपात का निर्धारण • निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की क्वालिटी मापक व जांच प्रक्रिया • कार्यों पर प्रयुक्त मसाले की जांच, उसका साइट पर व प्रयोगशाला में जांच की प्रक्रिया की जानकारी। • विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य, सडक, एनीकट निर्माण से संबंधित विभिन्न सामग्री की गुणवत्ता की जांच, • विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों में स्थापित लेबोरेट्री में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी, जिनका उपयोग किया जा सकता है, • लेबोरेट्री के उपयोग विधि की जानकारी	अधीक्षण/ अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
5.	**मेट एवं मस्टररोल संधारण** • मेट के कर्त्तव्य एवं मेट की महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में पूर्ण जानकारी, • मस्टररोल संधारण, • विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्धारित टास्क की जानकारी, • प्रतिदिन आवंटित कार्य व निष्पादित किये गये कार्य का माप, • निर्माण कार्यों में प्रयुक्त औजार, उनकी विशिष्टियां व संधारण प्रक्रिया, • मेट द्वारा दर्ज दैनिक माप का तकनीकी सहायक द्वारा नियमित सत्यापन ।	अधिशाषी अभियंता (नरेगा) जिला परिषद
6.	**सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्य** • योजनान्तर्गत अनुमत तालाब, एनीकट एवं सिंचाई कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी, • पाजी की आवक की गणना, मार्ग, क्षमता, पाल के क्रॉस सेक्शन का क्षमता के अनुसार निर्धारण(डिजाईन), • अतिरिक्त पानी के निकास हेतु वेस्टवीयर निर्माण एवं डिजाईन, • पाल पर डाली जाने वाली मिट्टी की पूर्ण कुटाई, कुटाई की विधियां, प्रोफाईल व्यवस्थित करना, • कुटाई हेतु उपयोग में लिये जाने वाले उपकरणों की जानकारी, रख-रखाव, • खुदी हुई मिट्टी का उचित निस्तारण, • लिफ्ट एवं लीड की जानकारी, • पारम्परिक जलस्त्रोतों का जीर्णोद्धार, • बाढ बचाव के कार्य आदि	अधीक्षण / अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग
7.	**सडक निर्माण कार्य** • सडक निर्माण कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी, • अलाईनमेन्ट निर्धारण, सडक के बैंक के लेवल का निर्धारण, • क्रॉस ड्रेनेज स्थान का चयन, डिजाईन, • भरी जाने वाली मिट्टी की मात्रा का आंकलन, मिट्टी भराई की	अधीक्षण / अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग

	विधि, मिट्टी की पूर्ण कुटाई, कुटाई की विधियां • प्रोफाईल व्यवस्थित करना, • कुटाई हेतु उपयोग में लिये जाने वाले उपकरणों की जानकारी, • सडक पर डाले जाने वाली सामग्री (ग्रेवल, मोरम, रोडी आदि) की गुणवत्ता, • सामग्री डालने से पूर्व साईट पर भण्डारण, मापन, रिकार्ड एन्ट्री आदि, • सडक पर सामग्री को बिछाने एवं कुटाई की व्यवस्था, कुटी हुई परत के अनुसार उपयोग में ली गई सामग्री की मात्रा का निर्धारण एवं आवश्यक मात्रा की क्रॉस चैकिंग, • पटरी का फोरमेशन, • खरंजा सडक निर्माण के महत्वपूर्ण तकनीकी बिन्दु, • ग्रामीण सडकों के साथ नाली निर्माण की आवश्यकता, • नाली की साईज का आंकलन आदि		
	<u>निर्माण कार्य</u> • निर्माण के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा, • नींव की गहराई एवं चौडाई का स्थानीय मिट्टी की प्रकृति के अनुसार आंकलन एवं निर्धारण, • सब-स्ट्रक्चर/ सूपर-स्ट्रक्चर की मोटाई व ऊँचाई का निर्धारण, • कार्य प्रकृति के अनुसार सीमेन्ट मसाले का अनुपात का निर्धारण। • पानी के निकास, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, • प्लास्टर कार्य, फर्श, दीवारों एवं लोहे के कार्य पर पेन्ट, • कार्य पूर्ण होने पर सूचनाएं प्रदर्शित करना।	अधीक्षण/ अभियंता, निर्माण विभाग	अधिशाषी सार्वजनिक
9.	<u>वानिकी संबंधी कार्य</u> • वानिकी संबंधी कार्य की जानकारी, • पौधशाला, • वृक्षारोपण तकनीक एवं विधियां • कार्य की समय सारणी, • क्षेत्र के अनुसार प्रजातियों का चयन, • वन सुरक्षा, फैन्सिंग आदि • बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ बचाव कार्य।	जिला वन अधिकारी / उप वन संरक्षक	
10	<u>भूमि एवं जल संरक्षण कार्य</u> • भूमि एवं जल संरक्षण गतिविधि के सिद्धान्त, • कंटूर, मेड की डिजाईन, • ग्रेडिड एवं ढालदार मेडबन्दी, • खडीन, सूखे पत्थरों के चैकडैम, गेबियन संरचनाएं, • भूमि समतलीकरण • बंजर भूमि विकास • परम्परागत जलस्त्रोतों में पानी की आवक के रास्ते तैयार कराना। • भू-संरक्षण की महत्वपूर्ण गतिविधियां।	अधिशाषी अभियंता, (भू-संसाधन) जिला परिषद	

11	गुणवत्ता नियंत्रण हेतु जिलों में स्थापित लेबोरेट्री की विजिट एवं लेबोरेट्री में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी (आधा दिन)(2 सत्र)	अधीक्षण/ अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
12	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री के उपयोग पर चर्चा, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं/ विषयों की व्यापक जानकारी, क्षेत्र के अच्छे प्रयासों पर चर्चा, निम्न गुणवत्ता के निर्माण कार्यों के सुधार हेतु किये गये प्रयास।	अधीक्षण/ अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अधिशाषी अभियंता (नरेगा) जिला परिषद
13	प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार-विमर्श, शंकाओं का समाधान एवं सत्र समाप्ति पर उठने वाले महत्वपूर्ण बिन्दुओं को सूचीबद्ध करना एवं उन्हे अगले प्रशिक्षण के नियमित पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना	जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, एनआरईजीएस, /अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं अधिशाषी अभियंता (नरेगा) जिला परिषद

प्रति सत्र अवधि - 2 घंटे

कार्यशाला समय - प्रातः 9.30 बजे से 1.30 बजे प्रातः कालीन 2 सत्र
दोपहर 1.30 बजे से2.00 बजे भोजन अवकाश
दोपहर 2.00 बजे से 6.00 बजे अपरान्ह 2 सत्र